



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- कोटा में पुलिस थाना कैथून के थानाधिकारी के लिये 3 लाख रुपये रिश्वत लेते कानिस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार, थानाधिकारी मौके से फरार, तलाश जारी

जयपुर, 17 अगस्त, शनिवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये भरत कुमार जाट कानिस्टेबल, पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा को परिवादी से 3 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जमीन के विवाद में उसे उसकी जमीन पर कब्जा कराने की एवज में आरोपी धनराज मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा द्वारा आरोपी भरत कुमार जाट कानिस्टेबल, पुलिस थाना कैथून के माध्यम से 3 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा के सुपरवीजन में एसीबी की कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम पुलिस निरीक्षक श्री देशराज व अन्य के द्वेष कार्यवाही करते हुए आरोपी भरत कुमार जाट कानिस्टेबल, पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा को परिवादी से 3 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी थानाधिकारी, पुलिस निरीक्षक ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगाने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।